प्रेस नोट दिनांक- 02.05.2026

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा "दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, धर्म परिवर्तन, एससी/ एसटी एक्ट" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त दिलदार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत आमापुर मोड तिराहा चांदापुर रोड वहद ग्राम बीवीपुर वारडीह के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सविता व का0 सोनू कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 65(1)/137(2)/87/352/351(2)/55 BNS व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) V/3(2)VA SC/ST ACT व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट व 3 (1)/5 (3) उ.प्र.विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त दिलदार उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 आजाद निवासी ग्राम महदहां थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोकईयापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिलदार उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 आजाद निवासी ग्राम महदहां थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सविता व का0 सोनू कुमार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा "अपहरण" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सचिन बिन्द को गिरफ्तार किया गया-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 श्रीचन्द, म0का0 मधु शाक्य द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 137(2),87 बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सचिन बिन्द पुत्र उदयराज बिन्द निवासी ग्राम पिलकिछा थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र लगभग 23 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई के पास से गिरफ्तार किया गया। अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वे दोनो एक दूसरे से प्रेम करते है व उनकी जान पहचान सोशल मीडिया पर इन्स्ट्राग्राम के माध्यम से हुई है। वे दोनो एक दुसरे से शादी करना चाहते थे। इस लिए दिनांक 14/03/2026 को अपहृता अपने घर से बिना किसी को कुछ बताये मेंरे पास आयी और हम दोनो लोग भाग कर शादी कर लिये थे और तब से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। घर वालों द्वारा मुकदमा लिखे जाने की सूचना मिलने के बाद हम लोग वापस अपहृता के घर उसके घर उसके माता पिता से मिलने जा रहे थे कि आपके द्वारा हम लोगो के पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सचिन बिन्द पुत्र उदयराज बिन्द निवासी ग्राम पिलकिछा थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र लगभग 23 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 श्रीचन्द, म0का0 मधु शाक्य थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा " आत्महत्या के लिए उकसाना" के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संदीप कुमार यादव उर्फ मोनू गिरफ्तार-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत खाखापुर तिराहे के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 01.05.2026 को थाना फतनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम नरायनपुर कला निवासी वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री (उम्र लगभग 20 वर्ष) ने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वादिनी के अनुसार, संदीप कुमार उर्फ मोनू निवासी थाना रानीगंज द्वारा उनकी पुत्री को पूर्व से फोन कर परेशान किया जाता था तथा शादी के लिए दबाव एवं धमकी दी जाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से आहत थी। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर मेंमु0अ0सं0 98/2026 धारा 108/351(3) B.N.S बनाम 01 नामजद संदीप कुमार उर्फ मोनू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में व030नि0 असलम खां मय हमराह का0 ओमप्रकाश पाल, का0 दीपक द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 98/2026 धारा 108/351(3) B.N.S थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त संदीप कुमार यादव उर्फ मोनू पुत्र स्व जमुना प्रसाद यादव निवासी सनेऊआ इमलीडाड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत खाखापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. संदीप कुमार यादव उर्फ मोनू पुत्र स्व जमुना प्रसाद यादव निवासी सनेऊआ इमलीडाड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम-
व030नि0 असलम खां मय हमराह का0 ओमप्रकाश पाल, का0 दीपक थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।